3/5/24 पत्रावली पेश हुई, ... द्वारा न्यायिक कार्य ... रखने से पत्रावली दि. 14/5/24 ... को।

14/5/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल किये गये, विपक्षीगण को कितनी मर्तबा ऊक ऊक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.12 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

संख्या – 202/23 प्रा॰ पत्र

राधेश्याम s/o लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी- मेजा तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

कालू s/o श्री धन्ना ब्राह्मण निवासी- मेजा तहसील-माण्डल
हंगाम s/o श्री तेजा माली निवासी-धूलरवेड़ा तहसील-माण्डल
जस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा॰ माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 14-5-24

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेजा .....पटवार हल्का.....मेजा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की 0 .....25.14.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.7967.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.12.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....मेजा.....पटवार मेजा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....2514.....
ा.....01.....रकबा.....0.7967.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.....मेजा.....
500.....रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.12 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

पः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल